भारत सरकार /Government of India
वस्त्र मंत्रालय/ Ministry of Textiles
पटसन आयुक्त का कार्यालय/ Office of the Jute commissioner
पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक/ Patsan Bhawan, CF Block,
सातंवा व आठवां तल, एक्शन एरिया-I / 7th & 8th Floor, Action Area-I
न्यूटाउन, कोलकाता/ Newtown ,Kolkata – 700156

संख्या :पटसन(विपणन)/106/ 2015 **दिनांक: 27-05-2025**

<u>सूचना</u>

'जूट स्मार्ट' पोर्टल के माध्यम से निर्धारित फार्मेट में ऑनलाइन पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए सभी व्यापारियों, डीलरों, एजेंसियों, स्टॉक्सिटों को दिनांक 23.05.2025 को जारी किए गए आदेश सं. पटसन (विपणन)/106/कच्चा पटसन पंजीकरण/15-II का संदर्भ लें। इसके बाद, तकनीकी कठिनाइयों का सामना करने वाले इकाईयों को विकल्प दिया गया था कि वे निर्धारित प्रपत्र में मैनुअल रुप से हस्ताक्षरित विवरणी भी पटसन आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि, समीक्षा के उपरांत पाया गया है कि अनुबंध-I में सूचीबद्ध व्यापारियों/डीलरों/स्टॉकिस्टों ने दिनांक 15.05.2025 की विवरणी अबतक प्रस्तुत नहीं की है।

कच्चे जूट के व्यापारियों/डीलरों/स्टॉकिस्टों को एतद्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि वे उपर्युक्त आदेश का अनुपालन करें तथा विगत पक्ष तक की विवरणी के आंकड़े अर्थात, दिनांक 15.05.2025 को स्टॉक की स्थिति अगले 3 कार्यदिवस अर्थात दिनांक 30.05.2025 तक प्रस्तुत कर दें। इसके अलावा कच्चे जूट के व्यापारी/डीलर/स्टॉकिस्ट अवश्य सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पखवाड़ें में निर्धारित तिथि तक विवरणी अवश्य प्रस्तुत करें।

यह दोहराया जाता है कि पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की धारा 9 के अंतर्गत पटसन आयुक्त द्वारा जारी आदेशों का उलंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के साथ पठित पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की धारा II के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

(नीरज कुलहरि)
उप पटसन आयुक्त

Sd.

सेवा में,

1. **कच्चा जूट के सभी व्यापारी/डीलर/एजेंसी/स्टॉकिस्ट/दलाल आदि।**
2. **अध्यक्ष, जूट बेलर्स एसोसिएशन, 12 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता- 700001. उनसे अनुरोध है कि वे कच्चा जूट के सभी डीलरों/व्यापारियों/ऐजेंसियों/स्टॉकिस्टों आदि को सूचित करें।**